



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062022-236678
CG-DL-E-17062022-236678

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]
No. 50]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

आ.अ. 50(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434/उ.प्र.-लो.स./2019(1), दिनांक 9 जनवरी, 2019 के द्वारा अधिसूचित मौजूदा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के अतिरिक्त नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की, तालिका के स्तम्भ (1) में उल्लिखित लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रचलित उप निर्वाचन में मतगणना के कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है :-

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1.	2.
7-रामपुर	1-डिप्टी कलेक्टर-प्रथम, रामपुर
	2-डिप्टी कलेक्टर-द्वितीय, रामपुर
	3-उप जिलाधिकारी, मिलक

69-आजमगढ़	1-तहसीलदार, सगड़ी
	2-खण्ड विकास अधिकारी, महाराजगंज
	3-खण्ड विकास अधिकारी, बिलरियागंज
	4-तहसीलदार (न्यायिक), सगड़ी
	5-खण्ड विकास अधिकारी, हरैया
	6-खण्ड विकास अधिकारी, अजमतगढ़
	7-तहसीलदार, सदर
	8-खण्ड विकास अधिकारी, सठियाँव
	9-खण्ड विकास अधिकारी, जहानागंज
	10-खण्ड विकास अधिकारी, अहिरौला
	11-खण्ड विकास अधिकारी, पल्हनी
	12-खण्ड विकास अधिकारी, रानी की सराय
	13-तहसीलदार, मेंहनगर
	14-खण्ड विकास अधिकारी, तरवां
	15-खण्ड विकास अधिकारी, पल्हना

2. सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग आफिसरों के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेंगी।

[फा. सं. 434/उ.प्र.-लो.स./2019(1)]

आदेश से,

अमित कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2022

O.N. 50(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, hereby, appoints the officers of the Government specified in Column (2) of the Table below, as the Assistant Returning Officers, in addition to the existing Assistant Returning Officers notified vide Commission's Notification No. 434/UP-HP/2019(1), dated 9th January, 2019, as amended from time to time, to assist the Returning Officers of the Parliamentary Constituencies in the State of Uttar Pradesh, as specified in the Column (1) of the said Table, for the execution of their works with respect to the Counting of votes, for the ongoing Bye Elections from the Parliamentary Constituencies mentioned in Column (1) of the Table:-

TABLE

Number & Name of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1.	2.
7-Rampur	1-Dy. Collector-I, Rampur
	2-Dy. Collector-II, Rampur
	3-Sub Divisional Officer, Milak

69-Azamgarh	1-Tehsildar, Sagadi
	2-Block Development Officer, Maharajganj
	3-Block Development Officer, Bilariyaganj
	4-Tehsildar (Judicial), Sagadi
	5-Block Development Officer, Haraiya
	6-Block Development Officer, Ajjamatgarh
	7-Tehsildar, Sadar
	8-Block Development Officer, Sathiyaon
	9-Block Development Officer, Jahanaganj
	10-Block Development Officer, Ahiraula
	11-Block Development Officer, Palhani
	12-Block Development Officer, Rani Ki Sarai
	13-Tehsildar, Mehnagar
	14-Block Development Officer, Tarwa
	15-Block Development Officer, Palhana

2. The above officers shall cease to function as Assistant Returning Officers immediately after the completion of process of Counting of Votes in the ongoing Bye elections from the abovementioned Parliamentary Constituencies.

[F. No. 434/UP-HP/2019(1)]

By Order,

AMIT KUMAR, Secy.